**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2119**

उत्तर देने की तारीखः 12.05.2016

**प्रवासी कामगारों की शिक्षा हेतु जागरुकता अभियान**

**2119. श्री ए॰ यू॰ सिंह दिवः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रवासी और स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले बच्चों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रवासी कामगारों को उनके बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी कोटे की व्यवस्था के बारे में बताने के लिए जागरुकता अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने विशेषरूप से प्रवासी बहुतायत वाले क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों के विद्यालय में अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए विशेष उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**)श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में एक स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण नामतः ‘भारत में 6-13 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या के अनुमान के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण’ के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 60.64 लाख है। मंत्रालय ने 2,27,218 प्रवासी बच्चों के लाभार्थ वर्ष 2015-16 के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत 12704.231 लाख रूपए अनुमोदित किए हैं। मंत्रालय ने केवल प्रवासी बच्चों की पहचान हेतु कोई अलग से सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ख) और (ग): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। आरटीई अधिनियम की धारा 4 में स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के उपयुक्त कक्षा में दाखिले के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है। वे बच्चे, जो या तो कभी भी स्कूल में दाखिला न लेने के कारण या पढ़ाई बीच में छोड़ देने के कारण अपने कुछ शैक्षिक वर्ष खो चुके हैं, उन्हें आवासीय और गैर-आवासीय मोड में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है ताकि तत्पश्चात् वे औपचारिक स्कूलों में अपनी आयु के उपयुक्त कक्षा में शामिल हो सकें। स्कूल न जाने वाले इन बच्चों में कभी स्कूल में दाखिला न लेने वाले बच्चे, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चे, प्रवासियों के बच्चे, सड़क पर रहने और काम करने वाले बच्चे, बड़ों के संरक्षण से वंचित बच्चे आदि शामिल हैं। एसएसए के अन्तर्गत, इन बच्चों और इनके परिवारों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए गांवों के बड़े-बुजुर्गों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, स्व-सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं ली जाती हैं। आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की व्यवस्था, परिवहन एवं एस्कोर्ट सुविधा, मौसमी छात्रावास, कार्यस्थल पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, माइग्रेशन कार्ड, बैक टू स्कूल कैम्प आदि जैसी कार्यनीतियां क्रियान्वित की जा रही हैं और ये कार्यनीतियां इन बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में सफल सिद्ध हुई हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा समवर्ती सूची में है और अधिकतर स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं, इसलिए प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी है।

\*\*\*\*\*